

प्रारंभिक परीक्षा

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023

संदर्भ

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023' जारी की।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 (ISFR 2023) के प्रमुख आंकड़े -

- देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी. यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है।
 25.17% में से 21.76% वन आवरण है और 3.41% वृक्ष आवरण है।
- सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य (क्षेत्रवार): मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र।
- सबसे अधिक वन क्षेत्र (क्षेत्रफल के अनुसार) वाले शीर्ष 3 राज्य: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़।
- सर्वाधिक वन क्षेत्र (% के अनुसार) वाले शीर्ष 3 राज्य: लक्षद्वीप (91.33%), मिजोरम (85.34%) और अंडमान और निकोबार द्वीप (81.62%)।
- वर्तमान मूल्यांकन से पता चला है कि 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है।
 - ं इनमें से 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों: मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में वन क्षेत्र 75% से अधिक है।
- देश में कुल मैंग्रोव ऑवरण: 4,992 वर्ग किमी.
- बांस धारण क्षेत्र की कुल सीमा: 1,54,670 वर्ग किमी.
 - पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।
- भारत के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक: 7,285.5 मिलियन टन।
 - o पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन भंडार में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
- 2021 के आकलन की तुलना में परिवर्तन: कुल वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि: +1,445 वर्ग किमी।
 - ं अधिकतम वन और वृक्ष आवरण वृद्धि वाले राज्य (शीर्ष 4 राज्य): छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा और राजस्थान।
 - ं वन क्षेत्र में अधिकतम् वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष ३ राज्यः मिजोरम्, गुजरात और ओडिशा।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट

- इसे भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा हर दो साल में प्रकाशित किया जाता है (1987 से)।
 - FSI, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सरकारी संगठन है जो भारत के वन संसाधनों का आकलन और निगरानी करता है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी (मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड)।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है।
- रिपोर्ट में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव आवरण, बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल है।



यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए: (2019)

- 1. छत्तीसगढ
- 2. मध्य प्रदेश
- 3. महाराष्ट्र
- 4. ओडिशा

उपर्युक्त राज्य के संदर्भ में, राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है?

- (a) 2-3-1-4
- (b) 2-3-4-1
- (c) 3-2-4-1
- (d) 3-2-1-4

उत्तर: (c)

स्रोतः

• द हिन्दू - भारत के कुल क्षेत्रफल का 25% हिस्सा हरित क्षेत्र के अंतर्गत: रिपोर्ट





दूरसंचार (संदेशों का वैध अवरोधन) नियम, 2024

संदर्भ

केंद्र सरकार ने **दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2024** को अधिसूचित किया। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419 A को प्रतिस्थापित करेंगे।

दूरसंचार (संदेशों का वैध अवरोधन(Interception)) नियमों के बारे में, 2024 -

- अवरोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी:
 - o **संघ स्तर:** केंद्रीय गृह सचिव।
 - राज्य स्तर: गृह विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव।
 - 'अपिरहार्य परिस्थितियों' में: केंद्र सरकार के संयुक्त सिचव के पद से नीचे का कोई अधिकारी अवरोधन आदेश जारी कर सकता है। (अपिरहार्य परिस्थितियों शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है)।
- अवरोधन को प्राधिकृत करना: केंद्र सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2) के तहत निर्दिष्ट कारणों से संदेशों को रोकने के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन या सुरक्षा एजेंसी को अधिकृत कर सकती है।
- द्ररस्थ क्षेत्रों या परिचालन कारणों में आदेश: निम्नलिखित अधिकारी अवरोधन आदेश जारी कर सकते हैं:
 - केंद्रीय स्तर: प्राधिकृत एजेंसी का प्रमुख या दूसरा विरष्ठतम अधिकारी।
 - राज्य स्तर: प्रमुख या दूसरा विरष्ठतम अधिकारी (पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे नहीं)।
 - इन आदेशों का पालन अवश्य होना चाहिए
 - 3 कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 - 7 कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।
 - यदि पृष्टि नहीं की जाती है, तो अवरोधन बंद कर दिया जाना चाहिए, और अवरोधित संदेशों का उपयोग अदालती साक्ष्य सहित किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
- रिकॉर्ड रखरखाव और नष्ट करना:
 - प्राधिकृत एजेंसी और समीक्षा समिति द्वारा अवरोधन से संबंधित अभिलेखों को हर 6 महीने में नष्ट किया जाना चाहिए।
 - अपवादः कार्यात्मक उद्देश्यों या अदालती निर्देशों के लिए आवश्यक होने पर अभिलेखों को बनाए रखा जा सकता है।
- निरीक्षण तंत्रः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति की स्थापना की जाएगी।
 - ं **केंद्रीय निरीक्षण समिति:** इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं।
 - सदस्यः कानूनी मामलों के सचिव और दूरसंचार सचिव।
 - राज्य स्तरीय समितियाँ: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
 - सदस्य: गृह सचिव के अलावा, कानूनी मामलों के सचिव और राज्य सरकार के सचिव।

भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951

- भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 को भारत में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित और संचालित करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था।
- नियम 419A: सुरक्षा, जांच और सार्वजनिक हित कारणों से संचार के वैध अवरोधन और निगरानी से संबंधित प्रावधान।



भारतीय टेलीग्राफ नियम,1951 के नियम 419A से मुख्य अंतर

• अवरोधन के लिए शर्तों में छूट:

पिछले नियमों में केवल आपातकालीन मामलों में ही अवरोधन की अनुमित थी।

 नए नियम दूरदराज के क्षेत्रों या परिचालन कारणों से अवरोधन की अनुमित देते हैं, भले ही सक्षम प्राधिकारी तुरंत आदेश जारी न कर सकें।

अवरोधन के लिए अधिकृत अधिकारियों पर सीमाएं:

े नियम 419 A के तहत, राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) रैंक के अधिकारियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, जिन्हें अवरोधन के लिए अधिकृत किया गया था।

 नए नियम केवल एजेंसी के प्रमुख या दूसरे सबसे विरष्ठ अधिकारी को ही प्राधिकरण प्रदान करने को प्रतिबंधित करते हैं।

• अपुष्ट अवरोधों के विरुद्ध सुरक्षाः

 7 दिनों के भीतर पुष्टि न किए गए अवरोधों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, जिसमें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग भी शामिल है।

नए नियमों के संबंध में चिंताएँ

• 'आपातकालीन मामलों' के खंड में छूट: आकस्मिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता में छूट दी गई है। इससे दुरुपयोग की गुंजाइश बढ़ जाएगी।

• दुरुपयोग के लिए जवाबदेही का अभाव: नियम उन एजेंसियों के लिए दंडात्मक उपायों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं जो अवरोधन शक्तियों (interception powers) का दुरुपयोग करती हैं। एजेंसियाँ पृष्टि की आवश्यकता होने से पहले 7 दिनों तक अवरोधन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती हैं।

• शर्तों में अस्पष्टता: 'अपरिहार्य परिस्थितियाँ' और 'संचालन कारण' जैसी शर्तों को परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे व्यक्तिपरक व्याख्या की गुंजाइश बनी रहती है।

अधिकृत एजेंसियों पर अपर्याप्त जाँच: कठोर जाँच की अनुपस्थिति से अतिक्रमण और निजता अधिकारों के उल्लंघन का जोखिम बढ़ जाता है।

स्रोतः

द हिन्दू - नए अवरोधन नियम और सुरक्षा उपाय क्या हैं?



स्पीड गन(Speed Gun)

संदर्भ

तेज़ गति से चलने वाले वाहनों से निपटने के लिए, भारत भर में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन उपकरण के रूप में स्पीड गन को तेजी से अपनाया है।

स्पीड गन के बारे में -

- यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण, आमतौर पर रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जो डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके वस्तु की गित की गणना करने के लिए वस्तु से टकराते हैं।
- यह वस्तु के संपर्क में आए बिना ही किसी गतिशील वस्तु की गति को मापने का एक उपकरण है।
- यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण, आमतौर पर रेडियो तरंगों जो डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करके वस्तु की गति की गणना करने के लिए वस्तु से टकराती हैं, का उपयोग करता है।

अनुप्रयोगः

- कानन प्रवर्तन द्वारा यातायात निगरानी।
- एथलीट के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए खेलकृद।
- औद्योगिक उपयोग जिसमें सटीक गित ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है।

स्पीड गन कैसे काम करती है?

- स्पीड गन रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती हैं, जो गितमान वस्तु से परावर्तित होती हैं।
- उत्सर्जित और परावर्तित तरंगों के बीच आवृत्ति अंतर का उपयोग वस्तु की गित निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- गितं की गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाती है: (आवृत्ति अंतर x प्रकाश की गित) / (2 x उत्सर्जित आवृत्ति)।
- किसी माध्यम में प्रकाश की गति स्थिर होती है, जिससे लंबी दूरी पर सटीक गति को मापना संभव हो पाता है।

प्रभाव

- यह स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गित के कारण तरंगों की आवृत्ति में पिरवर्तन को संदर्भित करता है।
- जैसे-जैसे कोई गतिशील वस्तु निकट आती है, तरंगों (जैसे ध्विन या प्रकाश) की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे उच्च पिच (स्वर) बनता है; जैसे-जैसे वह दूर जाती है, आवृत्ति कम होती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पिच कम होता जाता है।
- उदाहरण के लिए, जब कोई ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म के पास पहुँचती है तो उसका हॉर्न उच्च पिच में बजता है और जब वह दूर जाती है तो उसका पिच कम होता जाता है।

स्रोत:

द हिंदू - गति ट्रैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली स्पीड गन के काम करने के पीछे का सिद्धांत



अस्वीकृत होने के बावजूद भारत में स्टारलिंक डिवाइस का उपयोग

संदर्भ

हाल ही में मणिपुर में स्टारिलंक सैटेलाइट एंटीना और राउटर जब्त किए गए थे। इससे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के दुरुपयोग के संबंध में चिंता बढ़ गई है।

स्टारलिंक के बारे में -

- स्टारलिंक स्पेसएक्स (एलन मस्क द्वारा स्थापित) द्वारा विकसित एक उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा है।
- यह उच्च गित, कम विलंबता ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में उपग्रहों (~ 550 किमी पर परिक्रमा) के एक समूह का उपयोग करता है।
- यह स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वीडियो कॉल जैसी उच्च डेटा-दर गतिविधियों का समर्थन करता है, जिससे यह दूरस्थ क्षेत्रों, आपदा क्षेत्रों और प्रतिबंधित इंटरनेट पहुंच वाले स्थानों में लोकप्रिय है।

सैटेलाइट इंटरनेट क्या है?

- सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को संदर्भित करता है जो ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है।
- यह तकनीक उपयोगकर्ताओं को वस्तुतः कहीं से भी इंटरनेट तक पहुँचने में सक्षम बनाती है, विशेष रूप से दूरदराज या कम सेवा वाले क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक स्थलीय इंटरनेट अवसंरचना का अभाव है।
- सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगकर्ता के डिश से कक्षा में एक उपग्रह को डेटा संचारित करके काम करता है, जो फिर इंटरनेट बैकबोन से जुड़े एक ग्राउंड स्टेशन को जानकारी रिले करता है।

स्टारलिंक एक्सेस को किस प्रकार नियंत्रित करता है?

- **सिग्नल एन्क्रिप्शन:** सैटेलाइट ट्रांसमिशन की हैकिंग या इंटरसेप्शन को रोकता है।
- जिओफ़ेंसिंग: टर्मिनल, भौगोलिक <mark>दृष्टि से</mark> सेवा के लिए अधिकृत क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
 - ं उदाहरण के लिए- अमेरिका में खरीदा गया स्टारलिंक डिवाइस भारत में तब तक काम नहीं कर सकता, जब तक कि उसका भौगोलिक स्थान पुनः कॉन्फ़िगर न किया जाए।
- चुनौतियाँ:
 - सटीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कवरेज निम्नलिखित कारणों से कठिन है:
 - विवादित सीमाएँ।
 - गतिशील सीमाओं के पार संचारण करने वाले उपग्रह।
 - o यदि विदेश से खरीदे गए उपकरणों का विनियमन न किया जाए तो वे प्रतिबंधों से बच सकते हैं।

भारत में स्टारलिंक की विनियामक स्थिति

- अस्वीकृत सेवा: स्टारलिंक को भारतीय वायरलेस अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत, भारत में विनियामक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
- विधान: भारतीय वायरलेस अधिनियम की धारा 6 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20, बिना अनुमोदन के थुराया या इरिडियम फोन जैसे उपग्रह-आधारित संचार उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है।
- ऐप उपलब्धताः प्रतिबंध के बाद भी, टिकटॉक जैसे प्रतिबंधित ऐप के विपरीत, स्टारलिंक ऐप भारत में डाउनलोड करने योग्य है।

स्रोतः

• द हिंदू - क्या मणिपुर के आतंकवादी स्टारलिंक डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं?



स्पैडेक्स(SpaDeX)

संदर्भ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) स्पैडेक्स मिशन के तहत POEM उपग्रह पर रिकॉर्ड 24 वैज्ञानिक प्रयोग शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

स्पैडेक्स (अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग) के बारे में -

- यह इसरो का एक नया मिशन है जिसका उद्देश्य गतिशील दो उपग्रहों को अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रदर्शन करना है।
- यह दो छोटे अंतरिक्ष यान चेज़र और टारगेट से बना है। (प्रक्षेपण यान PSLV C-60)
- एक साथ लेकिन स्वतंत्र रूप से 55 डिग्री झुकाव पर 470 किमी चौड़ी वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किए जाएंगे और स्थानीय समय चक्र लगभग 66 दिन का होगा।
- चरण:
 - रेंडेज़वस 2 अंतरिक्ष यान की कक्षाओं को संरेखित करना
 - o **डॉकिंग** 2 अंतरिक्ष यान को जोडना
 - अनडॉिकेंग 2 अंतरिक्ष यान को डिस्कनेक्ट करना।
- उद्देश्य:
 - प्राथमिक उद्देश्य डॉकिंग कार्य: उपग्रह कक्षा में रहते हुए डॉकिंग (जुड़ना) और अनडॉकिंग (अलग होना) का प्रदर्शन करेंगे।
 - द्वितीयक उद्देश्य विद्युत शक्ति हस्तांतरण: डॉक किए गए अंतिरक्ष यान के बीच विद्युत शक्ति का हस्तांतरण। यह निम्न के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है:
 - अन्तरिक्ष रोबोटिक्स
 - समग्र अंतिरक्ष यान नियंत्रण
 - अनडॉिकेंग के बाद पेलोड संचालन
- महत्वः भारत के आगामी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (भारत की अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना) की सफलता के लिए महत्वपूर्ण।
- PSLV ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉड्यूल (POEM) के बारे में:
 - POEM एक अंतरिक्ष प्लेटफ़ॉर्म है जो वैज्ञानिक समुदाय को कक्षा में सूक्ष्मगुरुत्व स्थितियों में प्रयोग करने की अनुमति देता है।
 - यह ध्रुवीय तुल्यकालिक प्रक्षेपण यान (PSLV) के चौथे चरण को कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करता है।
 - अतीत में POEM पर किए गए महत्वपूर्ण प्रयोग: विद्युत प्रणोदन प्रणालियाँ, उपग्रहों को छोड़ने के लिए उपकरण, और तारों पर नज़र रखने की तकनीक

तथ्य

भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने में सक्षम अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। (रूस, अमेरिका और चीन के बाद)

स्रोतः

• द हिन्दू - स्पैडेक्स: अंतरिक्ष में बैठक



सरकार ने मतदान फुटेज तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए नियम में संशोधन किया

संदर्भ

केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव संबंधी कुछ दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है।

संशोधन के बारे में -

- नियम-९३ में संशोधन:
 - o पिछला नियम 93: चुनाव से संबंधित सभी "कागज़ातों" तक सार्वजनिक पहुंच की अनुमित थी।
 - संशोधित नियम 93: केवल उन दस्तावेजों तक पहुंच को सीमित करता है जिनका नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग क्लिप और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्टॉनिक रिकॉर्ड को छोडकर।
 - नामांकन फार्म, परिणाम और चुनाव खाता विवरण उपलब्ध रहेंगे।
- संशोधन के अपवाद:
 - दस्तावेजों तक उम्मीदवारों की पहुँच: संशोधन में चुनावों में उम्मीदवारों की पहुँच को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। उम्मीदवारों को अभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुँचने का अधिकार है।
 - दस्तावेजों तक सार्वजिनक पहुंच: आम जनता के लिए सीसीटीवी फुटेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
 तक पहुंच सीमित है और अब इसे केवल अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से ही प्राप्त किया जा
 सकता है।
- संशोधन के लिए चुनाव आयोग का औचित्य:
 - निजता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं: चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक रूप से साझा करने से मतदान की निजता से समझौता हो सकता है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जहां मतदाताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
 - डेटा का दुरुपयोग: ऐसी चिंताएं थीं कि इस तरह के फुटेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भ्रामक आख्यान बनाने के लिए हेरफेर किया जा सकता है, जो चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर कर सकता है।

स्रोत:

द हिंदू - सरकार ने मतदान फुटेज तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए नियम में संशोधन किया



संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद (IJC) के बारे में -

- IJC संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अधीन कार्य करता है तथा इसकी निगरानी महासभा द्वारा की जाती है।
- उद्देश्य: कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच विवाद समाधान के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करके संयुक्त राष्ट्र के भीतर न्याय प्रशासन को मजबूत करना।
- शक्तियां और कीर्यः
 - न्यायाधीशों की खोज: संयुक्त राष्ट्र विवाद न्यायाधिकरण (यूएनडीटी) और संयुक्त राष्ट्र अपील न्यायाधिकरण (यूएनएटी) में रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की पहचान और साक्षात्कार।
 - सिफारिशें: भौगोलिक विविधता सुनिश्चित करते हुए महासभा के प्रत्येक रिक्त पद के लिए दो या तीन उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है।
 - निरीक्षण: न्याय प्रणाली के कार्यान्वयन पर महासभा को इनपुट प्रदान करता है।
- अध्यक्ष की नियुक्ति:
 - प्रक्रियाः अध्यक्ष का चयन परिषद के चार अन्य सदस्यों की सर्वसम्मित से किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा आधिकारिक रूप से नियुक्त किया जाता है।
 - अविधि: 4 वर्ष (न्यायमूर्ति लोकुर का कार्यकाल नवंबर, 2028 में समाप्त होगा)

स्रोत:

द हिंदू - मदन लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद् के प्रमुख हैं



डेनाली फॉल्ट(Denali Fault)

संदर्भ

नए शोध के अनुसार, डेनाली फॉल्ट के साथ तीन भूगर्भिक स्थल क्लियरवॉटर पर्वत, क्लुआन झील और कोस्ट पर्वत कभी एक भूगर्भिक विशेषता का हिस्सा थे, जिसने लाखों साल पहले दो भूखंडों को एकजुट किया था।

डेनाली फॉल्ट के बारे में -

- डेनाली फॉल्ट एक प्रमुख अंतरमहाद्वीपीय डेक्सट्रल (दायां पार्श्व) स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट है जो अलास्का रेंज में अलास्का के दक्षिणी आधे भाग में स्थित है।
- यह कनाडा के उत्तर-पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर अमेरिका के अलास्का राज्य के मध्य क्षेत्र तक फैला हुआ है।
- यह प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा पर स्थित है, जहां प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे धंस रही है।
- फॉल्ट लाइनों के बारे में:
 - फॉल्ट या भ्रंश दो चट्टानों के बीच दरार या दरारों का क्षेत्र होता है। यह पृथ्वी की सतह पर एक रेखा होती है जो फॉल्ट के दो किनारों के मिलने की जगह को चिह्नित करती है।
 - दोष ब्लॉकों को एक दूसरे के सापेक्ष गित करने की अनुमित देते हैं। यह गित भूकंप के रूप में तेजी से हो सकती है - या रेंगने के रूप में धीरे-धीरे हो सकती है।

स्रोत:

द हिंदू - डेनाली फॉल्ट ने भू-भागों के प्राचीन जोड़ को तोड़ दिया





संपादकीय सारांश

भारतीय नौसेना का समुद्री युद्ध

संदर्भ

भारतीय नौसेना ने विशेष रूप से **ऑपरेशन संकल्प** के माध्यम से, अपनी परिचालन क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ 2024 की शुरुआत की।

ऑपरेशन संकल्प

- अदन की खाड़ी, अरब सागर और सोमालिया के पूर्वी तट के जलक्षेत्र जैसे क्षेत्रों में, समुद्री डाकुओं से जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हूतियों द्वारा लिक्षत जहाजों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में, भारत की स्थिति को सुदृढ किया।
- उपलब्धियाँ:
 - 45 भारतीय नाविकों सिहत, 110 से अधिक लोगों की जान बचाई गई।
 - लगभग 1.5 मिलियन टन महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया।
 - 3,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए।

तथ्य

लाल सागर में हूती संकट से निपटने के लिए, अमे<mark>रिका और अन्य यूरो</mark>पीय संघ के देशों द्वारा क्रमशः ऑपरेशन प्रॉसपेरिटी गार्डियन और ऑपरेशन एस्पाइड्स संचा<mark>लि</mark>त किये जा रहे हैं।

समुद्री युद्ध में अन्य प्रमुख विकास

- INS अरिघाट की कमीशनिंग (अगस्त 2024):
 - भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN)।
 - भारत के परमाणु त्रिकोण के तीसरे चरण को सुदृढ़ता प्रदान करता है।
 - विशेषताएँ:
 - उन्नतं सोनार और प्रणोदन प्रणाली।
 - उन्नत ध्वनिक डंपिंग।
 - INS अरिहंत की तुलना में उच्च स्वदेशी सामग्री।
 - 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली K-4 सबमरीन-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिससे चीन का अधिकांश हिस्सा हमले की सीमा में आ गया।
- प्रोजेक्ट-77 (P-77) की स्वीकृति:
 - ं सुरक्षा पर कैबिनेट सिमेति ने दो परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियों (SSN) के निर्माण को स्वीकृति दी।
 - ॰ 90% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ 2036-37 तक पहली SSN की डिलीवरी।
 - भारत SSBN और SSN दोनों का संचालन करने वाला एकमात्र गैर-P5 राष्ट्र बन गया।

पारंपरिक पनडुब्बियों में विकास

- प्रोजेक्ट-75 (स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियाँ):
 - छठी स्कॉर्पीन नाव, INS वाघशीर, शीघ्र ही संचालित की जाएगी।
 - ० 60% स्वदेशी सामग्री वाली तीन और स्कॉर्पीन नौकाओं का ऑर्डर देने की योजना।
- प्रोजेक्ट-75(I) (AIP-सक्षम पनडुब्बियाँ):



- ं गैर-परमाणु नाव की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना।
- स्पेन (नवान्टिया) और जर्मनी (थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स- TKMS) के साथ सहयोग।
- o पहली नाव के लिए स्वदेशी सामग्री 45% से प्रारंभ होने और छठी नाव तक 60% तक बढ़ने की उम्मीद है।
- अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स (UUVs) की स्वीकृति:
 - ॰ ₹2,500 करोड़ की लागत से 100 टन के UUV का विकास।
 - o **उद्देश्य:** लागत प्रभावी, रणनीतिक सक्षमताओं के साथ, समुद्र के नीचे की क्षमताओं को बढ़ाना।

आधुनिकीकरण में चुनौतियाँ

- **बजटीय बाधाएँ:** यह समय पर अधिग्रहण और आधुनिकीकरण प्रयासों में बाधा उत्पन्न करती है।
- अत्यधिक विलंब: आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने, निर्माताओं को शॉर्टलिस्ट करने और निविदाओं का मूल्यांकन करने में अक्षमताएं।

सामरिक अवसर

- सामरिक केंद्र-बिंदु क्षेत्र: सुव्यवस्थित अधिग्रहण प्रक्रियाएँ।
 - एक सुदृढ़ ब्लू-वाटर नौसेना सृजित करनें के लिए समुद्र के नीचे, सतह और विमानन तत्वों में निवेश को संतुलित करना।
- सामरिक भागीदारों के साथ सहयोग:
 - मित्रवत समुद्री राष्ट्रों के साथ सहयोग बढ़ाने की संभावना।
 - क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) के भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखण।
- स्वतंत्र और समावेशी इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देना: भारत के विकास और भूराजनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए, समुद्री स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना।

स्रोत: द हिंद: भारत की समुद्री युद्ध शक्ति की ओर इशारा करते हुए



ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई भारत के लिए चुनौती

संदर्भ

- वैश्विक जलवायु वार्ता (जैसे COP-29, अज़रबैजान) गतिरोध में फंसी हुई है, जबिक ग्रह लगातार गर्म हो रहा है।
- ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए उत्सर्जन में कमी लाने की तत्काल आवश्यकता है।

उत्सर्जन लक्ष्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटनाक्रम

- **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM):** यूरोपीय संघ का CBAM 2026 में प्रभावी होगा।
 - यह आयात पर सीमा शुंल्क लगाएगा, जब तक कि निर्यातक देश अपने कार्बन करों को यूरोपीय संघ के स्तर के बराबर नहीं बढ़ा देते।
 - इस तंत्र से भारत और चीन जैसे देशों पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से कदम बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दबाव पड़ने की उम्मीद है।
- उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने का दबाव: हिरोशिमा और अपुलिया में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से 2025 तक उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया गया है, जिसमें चीन और भारत दोनों का उल्लेख किया गया है।
 - ट्रम्प प्रशासन की संभावित वापसी से यह तात्कालिकता और भी बढ़ गई है, जो संभवतः अमेरिका को जलवायु समझौतों से हटा लेगा, जिससे वैश्विक प्रयास और भी जटिल हो जाएंगे।

भारत की वर्तमान स्थिति

- भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत वैश्विक औसत का एक तिहाई है।
- विद्युत उत्पादन में भारत की परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है।
- भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जेन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है, जैसा कि ग्लासगो में आयोजित COP26 में कहा गया था।

वैश्विक प्रयास

- विकसित राष्ट्र:
 - संयुक्त राज्य अमेरिका: 20% बिजली परमाणु ऊर्जा से आती है; राजनीतिक अनिश्चितता के बावजुद स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर जोर दिया जा रहा है।
 - फ्रांस: 70% बिजली उत्पादन परमाणु ऊर्जा पर निर्भर है; सक्रिय रूप से अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है।
 - о यूरोपीय संघ: СВАМ और आक्रामक उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के साथ अग्रणी।
- चीन: 2030 तक उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने की योजना, तथा इस परिवर्तन के दौरान अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने के लिए नवीक्रणीय और कोयला आधारित ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश।
- जापान: फुकुशिमा आपदा से उत्पन्न झिझक को दूर करते हुए, 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के लिए प्रतिबद्ध।

भारत के विकास में बाधाएं क्या हैं?

- ऊर्जा मांग: विभिन्न क्षेत्रों (जैसे, परिवहन, उद्योग) में बढ़ते विद्युतीकरण से मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
 - उदाहरण के लिए, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) टास्क फोर्स का अनुमान है कि भारत को 2070 तक न्यूनतम 21,000 टेरावाट घंटे (टीडब्ल्यूएच) बिजली की आवश्यकता होगी।



- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक 3,400 TWh तक पहुंच जाएगी, जो कि नीति आयोग के 2020 के 6,200 TWh से काफी कम है।
- अवास्तविक अनुमानों से ऊर्जा की कमी और धीमी वृद्धि हो सकती है।

परमाणु बनाम नवीकरणीय ऊर्जा

- स्केलेबल और दृढ़ शक्ति: नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत, परमाणु ऊर्जा मौसम की स्थिति से अप्रभावित लगातार ऊर्जा उत्पादन प्रदान करती है।
- भूमि दक्षता: नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना में परमाणु संयंत्रों को बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए:
- नवीकरणीय-आधारित दृष्टिकोण: 4,12,033 वर्ग किमी की आवश्यकता।
- **परमाणु-आधारित दृष्टिकोण:** 1,83,565 वर्ग किमी की आवश्यकता।
- लागत-प्रभावशीलताः परमाणु ऊर्जा शुल्क (₹3.80/यूनिट) भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा (₹4.95-₹7.5/यूनिट) से कम है।
- तकनीकी बाधाएँ: हाइड्रोजन और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता, जो अभी तक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
- वित्तीय बोझ: स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए 2070 तक 15.5 ट्रिलियन डॉलर (नवीकरणीय-भारी) या 11.2
 ट्रिलियन डॉलर (परमाणु-भारी) की आवश्यकता होगी। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताएं अपर्याप्त हैं।
 - इसके परिणामस्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का उनकी क्षमता की तुलना में कम उपयोग हो रहा है।
- भूमि एवं संसाधन सीमाएं: नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लिए 4,12,033 वर्ग किमी भूमि की आवश्यकता है, जो भारत की 2,00,000 वर्ग किमी अधिशेष भूमि से कहीं अधिक है।
- **डिस्कॉम की स्थिति:** विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) की खराब वित्तीय स्थिति स्वच्छ ऊर्जा में निवेश में बाधा उत्पन्न करती है।

भारत के लिए सिफारिशें

- परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना:
 - o 700 मेगावाट-1,000 मेगावाट रिएक्टरों के विस्तार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
 - अधिक वित्तपोषण आकर्षित करने के लिए परमाणु ऊर्जा को हिरत ऊर्जा के रूप में मान्यता दी जाए।
- भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूत बनाना: नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थायी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उन्नत भंडारण समाधान विकसित करना।
- नीति सुधारः
 - बेहत्र टैरिफ् और प्रशासन के माध्यम से डिस्कॉम की वित्तीय सेहत में सुधार लाना।
 - ऊर्जा परिवर्तन के वित्तपोषण हेतु टैरिफ वृद्धि पर सार्वजनिक और राजनीतिक सहमित बनाना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ानाः
 - ं परमाणु एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम में संलग्न होना।
 - 🗸 ्अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्तृ और कार्बन् स्पेस तुक् सूमान पहुंच के लिए बातचीत करना।

स्रोत: द हिंदू: ग्लोबल वार्मिंग की लड़ाई भारत के लिए चुनौती है



निर्यात से विकास को गति मिल सकती है

संदर्भ

भारत में खपत कम है और निजी निवेश कमज़ोर है। लेकिन निर्यात से समाधान मिल सकता है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है, जबिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 100 ट्रिलियन डॉलर से थोडा अधिक है।
- इसका मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 4% है।
- लेकिन वैश्विक वस्तु निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है, 2% से भी कम।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की पृष्ठभूमि

• जीडीपी विकास दर में गिरावट:

- हाल की तिमाहियों में भारत की जीडीपी वृद्धि में लगातार गिरावट आई है, जो 2023 के मध्य में 8% से बढ़कर सितंबर 2024 में 5.5% से भी कम हो गई है।
- उच्च आवृत्ति संकेतक मंदी की पुष्टि करते हैं, जो सांख्यिकीय विसंगतियों से परे कमजोर आर्थिक गति को दर्शाते हैं।

कमजोर उपभोग मांग:

- शहरी खपत कमजोर बनी हुई है, जिससे समग्र मांग प्रभावित हो रही है।
- यह मंदी निजी निवेश को प्रभावित करती है, क्योंकि उद्योगों को अत्यधिक क्षमता उपयोग का सामना करना पडता है और वे विस्तार करने में हिचकिचाते हैं।

• कमजोर निजी निवेश:

- स्वस्थ कॉपोरेट बैलेंस शीट के बावजूद, निजी निवेश कम बना हुआ है।
- अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की मांग का अभाव नये निवेश को हतोत्साहित करता है।

सार्वजनिक निवेश पर राजकोषीय बाधाएं:

- सरकारी व्यय वृद्धि का प्रमुख चालक रहा है, लेकिन राजकोषीय सीमाएं निकट आ रही हैं, जिससे आगे विस्तार पर रोक लग रही है।
- सरकार द्वारा संचालित मांग पर लगातार निर्भरता टिकाऊ नहीं है।

• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में गिरावट:

- 2023-24 में एफडीआई प्रवाह 66 बिलियन डॉलर पर स्थिर रहेगा, जिसका केवल एक छोटा सा हिस्सा विनिर्माण की ओर निर्देशित होगा।
- चीन से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का लाभ उठाने के अवसर चूक गए।

निर्यात ही क्यों एक रास्ता है?

• निर्यात के माध्यम से संभावित वृद्धि

- पांच वर्षों में निर्यात हिस्सेदारी में 1 प्रतिशत की लिक्षत वृद्धि से वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 1% की वृद्धि हो सकती है।
- निर्यात मात्रा में 50% की वृद्धि से पर्याप्त आर्थिक लाभ और रोजगार सृजन होगा।

वैश्विक गतिशीलता भारत के पक्ष में

- बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से हटा रही हैं, जिससे भारत के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभ और पीएलआई योजना जैसे नीतिगत उपाय इसे एफडीआई के लिए एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।



उत्प्रेरक के रूप में विनिर्माण

- विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करने से वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है।
- निर्यातोन्मुख विनिर्माण ने ऐतिहासिक रूप से पूरे एशिया में विकास को गित दी है।

निर्यात आधारित विकास के लिए नीतिगत सिफारिशें

- ससंगत व्यापार नीति:
 - टैरिफ परिवर्तनों को न्यूनतम करें और आयात/निर्यात प्रतिबंधों से बचें।
 - संरक्षणवादी नीतियों से मुक्त व्यापार मानसिकता की ओर बदलाव।
- बेहतर विनिमय दर प्रबंधन: निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विनिमय दरों को बाजार की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने की अनुमति देना।
- व्यापार करने में आसानी बढ़ाना: विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए नियामक ढांचे को सरल बनाना।
- विनिर्माण में एफडीआई को बढावा देना:
 - ० पीएलआई जैसी योजनाओं का विस्तार और सरलीकरण करना।
 - विनिर्माण विकास को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे और कौशल विकास सुनिश्चित करना।
- **पारदर्शी एवं पूर्वानुमानित नीतियां:** निवेशकों और व्यवसायों में विश्वास पैदा करने के लिए नीतियों में उतार-चढाव से बचें।
- समान अवसर: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए समान अवसर। स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस: मंदी को उलटना





कृषि में केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए सुझाव

संदर्भ

आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने का अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ प्रथाओं की आवश्यकता के मद्देनजर।

भारतीय कृषि में चुनौतियाँ

- जलवाय परिवर्तन का प्रभाव: भारत में 1951 से तापमान में 0.7°C की वृद्धि हुई है।
 - ं जुलाई-सितंबर में वर्षा में 6% की गिरावट आई है, जिससे कृषि उत्पादकता के लिए जोखिम बढ़ गया है।
- मृदा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: मृदा में कार्बिनिक कार्बन की कम मात्रा और अपर्याप्त नमी प्रतिधारण।
 - वर्तमान कृषि पद्धितियां और असंतुलित उर्वरक उपयोग समस्या को और बढा रहे हैं।
- उर्वरक सब्सिडी नीति में अनियमितता: यूरिया पर फॉस्फेट (P) और पोटाश (K) जैसे अन्य पोषक तत्वों की तुलना में भारी सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण नाइट्रोजन (N) का अधिक उपयोग होता है।
 - लौह, जस्ता और बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का कम उपयोग किया जाता है।
- खाद्य नीति में उपभोक्ता-समर्थक पूर्वाग्रह: बार-बार निर्यात प्रतिबंध (प्याज, गेहूं, चीनी और चावल पर) और एफसीआई द्वारा लागत से कम मूल्य पर घरेलू बाजार में डंपिंग से किसानों को नुकसान होता है।
 - एफसीआई के लिए चावल की आर्थिक लागत: ₹39/िकग्रा; खले बाजार में ₹29/िकग्रा पर बेचा गया।
- नकारात्मक उत्पादक समर्थन अनुमान (PSE): भारत का PSE -15.5% है, जो किसानों पर "अंतर्निहित कर" को दर्शाता है, जबकि चीन और ओईसीडी देशों में यह 14% समर्थन है।

कृषि बजट 2025-26 के लिए प्रमुख सुझाव

- कृषि अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धिः
 - वर्तमान आबंटन: कृषि-जीडीपी का <0.5%.
 - प्रस्तावित: कृषि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1% तक दोगुना करना।
- मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना:
 - ऐसे तरीकों का समर्थन करें जो कार्बनिक कार्बन और नमी प्रतिधारण को बढाते हैं।
 - संतुलित उर्वरक (वृहत् पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व) पर जोर देना।
- प्रत्यक्ष आयं हस्तांतरण योजना लागू करनाः
 - प्रति हेक्टेयर के आधार पर, मौजूदा डेटा (उर्वरक बिक्री, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम-किसान) का उपयोग करके।
 - N,P, K उपयोग में संतुलन बहाल करने के लिए उर्वरक की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए।
 - नैनो-युरिया और नैनो-डीएपी जैसे तकनीकी नवाचारों को बढावा देना।
 - ० फ़ायदें:
 - पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार करना।
 - पर्यावरणीय क्षित को कम करना तथा सब्सिडी में होने वाली अनियमितता को रोकना।
 - 🛮 ूप्रभावी संचार के माध्यम से किसानों का विश्वास बहाल करना।
- दुग्ध क्रांति से सीखना:
 - दूध: 239 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत की सबसे बड़ी कृषि-वस्तु, जो अमेरिका (103 मिलियन टन) से आगे है।
 - o दुध मूल्य श्रृंखला में किसानों को उपभोक्ता मूल्य का 75-80% प्राप्त होता है।
- फलों और सब्जियों में क्रांतिकारी बदलावः



- वर्तमान में किसानों को उपभोक्ता मूल्य का केवल ~33% ही प्राप्त होता है।
- फलों और सिब्जियों के लिए एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) जैसा एक समर्पित बोर्ड स्थापित करना।
- सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वर्गीज कुरियन जैसे दूरदर्शी नेता की नियुक्ति करना।

बाजार विरोधी प्रथाओं को समाप्त करना:

- निर्यात नियंत्रण, निजी स्टॉक सीमा और वायदा प्रतिबंध रोकना।
- अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के बिना बाजार-संचालित मृल्य निर्धारण सुनिश्चित करना।

• दीर्घकालिक बाजार सुधारों को प्रोत्साहित करनाः

- उपभोक्ता समर्थक पूर्वाग्रह से हटकर संतुलित किसान-उपभोक्ता नीति की ओर बढ़ना।
- किसानों की आय बढ़ाने और आपूर्ति को स्थिर करने के लिए खुले बाजारों की सुविधा प्रदान करना।

• टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना:

- प्राकृतिक खेती मिशन जैसी पहलों को मजबूत करना।
- यह समझें कि अकेले प्राकृतिक खेती से बढ़ती हुई जनसंख्या (2050 तक 1.67 बिलियन) का भरण-पोषण नहीं हो सकता।
- टिकाऊ उत्पादकता के लिए जैव उर्वरकों को उपयुक्त रासायनिक उर्वरकों के साथ मिलाना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस: पालन-पोषण के स्थल के रूप में खेत

